न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक : 93/25

दिनांक 25.9.25

— :: निर्णय :: —

प्रार्थी श्री ~~महावीर~~ मेघराज, राज पुत्र/पुत्री/पत्नि नारायण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बल्दारपुर, ~~शेरखापुर~~ पटवार मण्डल मू० डला तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 71, 68 में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ की ~~नाम~~/जाति ~~चमार~~ अंकित है जो सम्मानजनक नही है। जिसे सम्मानजनक रूप से मेघवाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी मू० डला से करवाने पर पटवारी ने चमार के बजाय मेघवाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में चमार के बजाय मेघवाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान ~~भू-राजस्व~~ काश्त (भू ~~अभिलेख~~ पाणी) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम बल्दारपुर, ~~शेरखापुर~~ के खाता संख्या 71, 68 में खातेदार/गैरखातेदार का ~~नाम~~/जाति चमार के स्थान पर सम्मानजनक रूप से मेघवाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)